राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/ 429 दिनांकः 23/2/21

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 631 दिनांक 19.06.2020 द्वारा 16 नवीन नगरपालिकाओं के गठन एवं अधिसूचना क्रमांक 748 दिनांक 25.06.2020 द्वारा नगरपालिका बामनवास के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना क्रमांक 1006 दिनांक 13.08.2020 द्वारा नगरपालिका उच्चैन की सीमाओं में संशोधन किया गया एवं अधिसूचना क्रमांक 1299 दिनांक 27.08.2020 द्वारा नगरपालिका पावटा की सीमाओं में संशोधन किया जाकर नगरपालिका पावटा के स्थान पर नगरपालिका पावटा–प्रागपुरा किया गया। उक्त अधिसूचनाओं द्वारा निम्न 17 नवीन नगरपालिकायें गठित की गई थी :–

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका
1	जयपुर	पावटा–प्रागपुरा
2	जयपुर	बस्सी
3	अलवर	बानसूर
4	अलवर	लक्ष्मणगढ
5	अलवर	रामगढ
6	दौसा	मण्डावरी
7	जोधपुर	भोपालगढ
8	धौलपुर	सरमथुरा
9	धौलपुर	बसेडी
10	करौली	सपोटरा
11	गंगानगर	लालगढ– जाटान
12	बांरा	अटरू
13	कोटा	सुल्तानपुर
14	सिरोही	जावाल
15	भरतपुर	उच्चैन
16	भरतपुर	सीकरी
17	सवाईमाधोपुर	बामनवास

उपरोक्त नवगठित नगरपालिकाओं के गठन के विरूद्व विभिन्न याचिकाकर्ताओ द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) की पालना नही किये जाने के आधार पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विभिन्न रिट याचिकायें प्रस्तुत की गई जिनमें डी.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 10890/2020, 6707/2020, 9483/2020 एवं 6721/2020 में माननीय उच्च द्वारा दिनांक 09.10.2020 को निम्न प्रकार से स्थगन आदेश पारित किया गया है:–

"Till then, operation of the notifications dated 19.06.2020/ 22.07.2020/ 31.08.2020 shall remain stayed."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के क्रम में प्रकरण में माननीय महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से राय प्राप्त की गई। माननीय महाधिवक्ता महोदय द्वारा नगरपालिकाओं के गठन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा चम्पा लाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2018 के अनुसार नगरपालिकाओं के गठन से पूर्व भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) में वर्णित मानकों का निर्धारण किया जाना अनिवार्य बताया है, जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 जारी की जा चुकी है।

अतः विभागीय अधिसूचना क्रमांक 631 दिनांक 19.06.2020, 748 दिनांक 25.06.2020, 1006 दिनांक 13.08.2020 एवं 1299 दिनांक 27.08.2020 को माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अध्यधीन एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त/विखण्डित किया जाता है। अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 में निर्धारित किये गये मानकों के अनुसार नगरपालिकाओं के गठन के संबंध में नवीन सिरे से परीक्षण किया जाकर नगरपालिकाओं के गठन से संबंधित कार्यवाही शीघ्र ही की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

REDMI NOTE 9 PRO MAX
AI QUAD CAMERA

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/ 430—493 दिनांक: 23/2/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, शासन सचिवालय राज. जयपुर।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय राज. जयपुर ।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
16. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
17. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी